T.I. प्रकरण 9/2017

हुक्म की तामील में जारी हुआ 2018
न्याय आपके द्वार

पत्रावली राजस्व मोबाइल अदालत कैम्प कोटपूतली में पेश हुई। उभयपक्ष गण अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हुए। उभयपक्षों ने मुकदमा करने हेतु प्रारंभिक डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मूल वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित होने के कारण मूल वाद में विस्तारण तक उभयपक्षों में राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद के विस्तारण तक उभयपक्षों को मुख्य आशय से अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है कि ग्राम मांझी स्थित ख.न. 33 रकबा 0.53 है. तथा ख.न. 34 रकबा 0.45 है. भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण कैम्प ग्राम डेरा नम्बर 5 कलां तथा बाद तकमील प्रतिवेदन लेख कराई एवं मूल वाद के संज्ञान लिया। निर्णय राजस्व मोबाइल अदालत कैम्प कोटपूतली के माध्यम से आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
कोटपूतली